राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन:– 2708739
E-mail: rajssa.cce@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शिप/जय/SIQE/ /2018–19/ 11568 दिनांक : 1/2/19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

अति0 जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

अति–आवश्यक

विषय – SIQE की प्रगति को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने के क्रम में।
सन्दर्भ – राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु संचालित कार्यक्रम **"स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन"** (SIQE) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार **पंचायत स्तर पर SIQE की अच्छी समझ रखने वाले कम से कम एक अध्यापक का चयन के.आर.पी. के रूप में किया जाना था।** इस हेतु आपको परिषद से पत्रांक 26 अक्टूबर एवं 16 नवम्बर, 2018 के माध्यम से निर्देशित किया जा चुका है।

1) पंचायत स्तर पर केआरपी का चयन –

- प्रदत्त निर्देशों की पालना में **आपके जिले में पंचायत स्तर पर चयनित किये गये केआरपी सम्बन्धी सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर PEEO Login से SIQE कार्यक्रम में प्रविष्टि की जानी है।**

2) योगात्मक आकलन की पोर्टल पर प्रविष्टि –

- SIQE कार्यक्रम की प्रगति में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के साथ की गई शैक्षिक नवाचार के पश्चात विद्यार्थियों की उपलब्धि को सत्र पर्यन्त तीन बार योगात्मक आकलन के द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट की जानी है। SIQE के अन्तर्गत माह **सितम्बर, 2018 तक प्रथम योगात्मक आकलन पूर्ण किया जा चुका है।**
- **विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गये ग्रेड को समस्त विद्यालयों को स्वयं के School Login द्वारा शाला दर्पण पर School/ SIQE कार्यक्रम में प्रविष्टी की जानी है।**

उक्त दोनों कार्य को दिनांक 07 फरवरी, 2019 तक पूर्ण किया जाना है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि SIQE अन्तर्गत उक्त दोनों प्रविष्टियों को दिनांक 07 फरवरी, 2019 तक सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

क्रमांकः रास्कूलशिप/जय/SIQE/2018–19/11569 दिनांकः 1/2/19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त (SIQE)